

संविधानों - राज्यों का वर्गीकरण

राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया है। अरस्तू ने अपना यह वर्गीकरण 70 वीं आचार्यों पर प्रस्तुत किया है।

(1) संख्या का आचार → संख्या के आचार का तात्पर्य यह है कि प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

(2) नैतिक आचार → इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है।

शासन - इस प्रकार के तीन भेद किये हैं।

और दूसरे आचार पर अरस्तू ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूप - स्वाभाविक और विकृत - का निरूपण किया है। अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासक सामान्य हित के आदर्श के आचार पर कार्य करता है। और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों की दृष्टि में रहता है।

अरस्तू के वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उसे निम्नलिखित प्रकार से तालिकाबद्ध कर सकते हैं।

प्रथम आचार	द्वितीय आचार	
(संख्या का आचार)	(नैतिक आचार)	
शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	सर्वोच्च सत्ता के संघात्मक उद्देश्य	
एक	शासन का स्वाभाविक रूप	शासन का विकृत रूप
अल्पसंख्यक	एकतन्त्र या राजतन्त्र	आततायीतन्त्र
बहुसंख्यक	कुलीनतन्त्र	कौतन्त्र या धनिकतन्त्र
	बहुतन्त्र या संविधानतन्त्र	मीडतन्त्र

एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतन्त्र कहते हैं किन्तु जब शासन केवल अपने ही हितों की दृष्टि में रहता है तो शासन शक्ति का प्रयोग केवल अपने ही

संविधान

अनुसू के अनुसार नागरिकता का अर्थ राजसत्ता में भाग लेना अर्थात् राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है यह अधिकार किन्हीं और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उतर उसमें अपनी संविधान विषयक चारणा में दिया है।

अनुसू के अनुसार, संविधान या पार्लियी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका सम्बन्ध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पदों के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर संविधान के सम्बन्ध में अग्र बात सामने आती है।

- (1) संविधान राज्य अथवा उसके पदों का कोष है।
- (2) संविधान द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है।
- (3) संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस गण्य को और उन्मुख है।
- (4) राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है इसी के आधार पर राज्य का निर्माण अथवा अन्त होता है।
- (5) राज्य का स्वर अथवा अति आवश्यक आधार संविधान होता है और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप बदल जाता है।